न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4934/2018/धार/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 15-6-18 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण क्रमांक 59/अपील/2016-17/धार.

कन्हैयालाल शर्मा पिता नारायण शर्मा
निवासी हाल मुकाम अलीराजपुर
जिला अलीराजपुर .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यपद्रश शासन द्वारा
पटवारी हल्का नम्बर 42
तहसील डही, जिला धार .....अनावेदक

श्री बी.के. गुप्ता अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, शासकीय अभिभाषक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/2/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-6-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कुक्षी जिला धार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बड़वान्या तहसील कुक्षी के बी-1 सन् 1958-59 में भूमिस्वामी व शासकीय खातेदार के नाम के कॉलम नम्बर 2 में उनके पिता नारायण पुजारी साधारण कृषक के नाम पर प्रश्नाधीन सर्वे नम्बर 52, 78, 87, 99, 173, 174, 53/583 एवं 213 कुल रकबा 25.87 एकड़ में इन्द्राज को सुधारा जाकर आवेदकगण का नाम दर्ज किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र तहसीलदार, डही को भेजा गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-6-अ/2013-14 दर्ज कर दिनांक 15-12-2014

को आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक एवं बालकृष्ण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कुक्षी जिला धार के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30-9-16 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15-6-18 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वार मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन डही स्टेट द्वारा प्रश्नाधीन भूमि महंत पुजारी तपस्वी रामदास को व्यक्तिगत रूप से दिनांक 25-2-1923 को सनद में दी गई थी । तदोपरान्त गुरू शिष्प परम्परा अनुसार प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के पिता नारायण को प्राप्त हुई थी । उपरोक्त स्थिति में तत्कालीन इन्दौर लेण्ड रेवेन्यु एण्ड टेनेंसी एक्ट, 1931 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि निजी मानी गई थी तथा भू-आगम कृषकाधिकार विधान, 1950 के अनुसार आवेदक के पिता का नाम भूमि अभिलेख में साधारण कृषक के रूप में इंद्राज हुआ था । उक्त इन्द्राज को किसी के द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 158(3) के अंतर्गत ईनामदार को भूमिस्वामी प्राप्त हो गये थे, ऐसी स्थिति में आवेदक को उनके पिता नारायण द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 19-12-77 द्वारा स्वत्व प्राप्त हो गये हैं, किन्तु इस पर कोई विचार न कर अपील निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर कोई विचार नहीं किया है कि हनुमान मंदिर निजी मंदिर है, इसलिए कलेक्टर को पुजारी नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी आवेदक को बिना सूचना दिये पुजारी नियुक्त किया गया है, इसलिए संहिता की धारा 115 के अंतर्गत इन्द्राज दुरूस्ती किया जा सकता है । वैसे भी राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने का राजस्व न्यायालय का दायित्व है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष विधि विपरीत है कि संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से निरस्त किया गया । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि शासन द्वारा आवेदक की बिना जानकारी व बिना सूचना दिये कार्यपालिक आदेश अनुसार मंदिर के पुजारी के साथ कलेक्टर का नाम प्रबंधक के रूप में दर्ज किया गया है, जो कि प्राकृतिक

न्याय सिद्धान्त के विपरीत होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को वसीयतनामा के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो गये हैं । इस आधार पर कहा गया कि निष्पादित वसीयतनामा 30 साल से अधिक पुराना होकर साक्ष्य अधिनियमकीधारा 90 के अनुसार उसकी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

तर्कों के समर्थन में 2013 (2) एम.पी.एल.जे.691, 2012 (1) एम.पी.एल.जे. 692 एवं 2013 आर.एन. 215 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा न तो वर्ष 1923 में गुरू-शिष्य परम्परा के सबंध में कोई सनद पेश किया गया है और न ही संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु एक वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । आवेदक द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत क्या-क्या कार्यवाही की गई । यह भी कहा गया कि कलेक्टर का नाम वर्ष 1974 में प्रबंधक के रूप में विधिवत दर्ज हुआ है । तर्क में यह भी कहा गया कि वसीयत वसीयत नंदकिशोर व कन्हैया को हुई है और नंदकिशोर की मृत्यु हो चुकी है, किन्तु आवेदक द्वारा यह नहीं बताया गया है कि नंदकिशोर का वारिस कौन है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष गुरू-शिष्य परम्परा के आधार पर लाभ लेना चाहता है, किन्तु उक्त गुरू-शिष्य परम्परा के संबंध में आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय में कोई आधार नहीं उठाया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक को संहिता की धारा 158(3) के तहत लाभ दिया जाना वैधानिक रूप से उचित नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय मंदिर की होकर, प्रबंधक कलेक्टर के नाम दर्ज है । उक्त मंदिर शासकीय होकर पूजा अर्चना हेतु पुजारी नियुक्त होते रहे हैं । प्रश्नाधीन भूमि अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर उसका विधिक स्वत्व होने से नामांतरण किये जाने के संबंध में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । अत: तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि शासकीय मंदिर की भूमि पर बिना किसी स्वत्व के आवेदक का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्याय दृष्टांत 1975 आर.एन. 467 के प्रकाश में विधिवत आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया है । अपर आयुक्त

द्वारा भी विवेचना उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से, उनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-6-18 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर